आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
14.12.2018		

न्यायालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया

सेवा अपील वाद संख्या-34/2018

1. मूसर्रत जहाँ, पति रागीब, सा0-रमनीकला, थाना-अमौर, जिला-पूर्णिया।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य एवं अन्य
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर।
4. महिला पर्यवेक्षिका, अमौर।
5. किरण भारती, सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-199, प्रखंड-अमौर।

.... विपक्षीगण

आ दे श

प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के ज्ञापांक-211/जि0प्रो0, दिनांक-13.02.18 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह मामला आंगनबाड़ी केन्द वार्ड नं0-01, पंचायत-बंगरामेंहदीपुर, परियोजना-अमौर के सेविका पद से संबंधित है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि उनका चयन आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड सं0-01(पंचायत-बंगरामेंहदीपुर) केन्द्र सं0-198 पर किया गया है। वार्ड सिफ्टिंग के क्रम में उन्हें वार्ड सं0-02 केन्द्र सं0-199 पर कार्य करने हेतु भेज दिया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि महिला पर्यवेक्षिका द्वारा केन्द्र सं0-198 की सेविका को वार्ड सं0-01 तथा केन्द्र सं0-199 की सेविका को वार्ड सं0-02 में कार्य करने की अनुशंसा भेजी गई थी, जिसके आलोक में आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें विपक्षी सं0-05 भी उपस्थित थी, जिनके द्वारा वार्ड सं0-02 के केन्द्र सं0-199 में कार्य करने से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वार्ड सिफ्टिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद विपक्षी सं0-05 के द्वारा आपत्ति दी गई तथा एक लम्बी अवधि बीत जाने के बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा विपक्षी सं0-05 को वार्ड सं0-01 में सिफ्ट कर दिया गया

जो विधि सम्मत नहीं है। अतएव अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए वार्ड सं0-01 केन्द्र सं0-198 में अपीलार्थी को कार्य करने का आदेश दिया जाए।

विपक्षी सं0-05 के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका मुख्य रूप से कथन है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है।विभागीय निदेश के आलोक में वार्ड सिफ्टिंग किया गया जिसके तहत् विपक्षी सं0-05 को वार्ड सं0-01 केन्द्र सं0-198 आवंटित किया गया। विपक्षी सं0-05 इसी केन्द्र पर कार्य करना चाहती हैं। विपक्षी सं0-05 का चयन अपीलार्थी के चयन के पूर्व हुआ है। ऐसी स्थिति में वार्ड सिफ्टिंग किये जाने पर नये केन्द्र पर बाद में चयनित सेविका को भेजने का प्रावधान है। अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय।

इस वाद में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक 453/जि0प्रो0 दिनांक 04.04.18 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी सं0-05 का चयन वर्ष 2003 में तथा अपीलार्थी का चयन वर्ष 2013 में होने के कारण पूर्व चयनित सेविका को वार्ड सं0-01 में रखते हुए बाद में चयनित सेविका (अपीलार्थी) को वार्ड सं0-02 में सिफ्ट किया गया।

अपीलार्थी का अपील आवेदन, विपक्षी सं0-05 से प्राप्त कारणपृच्छा तथा प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर के पत्रांक 530 दिनांक 30.09.14 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को यह अनुशंसा की गई थी कि विपक्षी सं0-05 किरण भारती को वार्ड सं0-02 केन्द्र सं0-199 पर ही रखना उचित होता है। अपीलार्थी का चयन वर्ष 2013 में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-198 वार्ड सं0-01 पर की गई थी। यह चयन पूर्व के सेविका द्वारा त्याग-पत्र देने के उपरांत हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्र सं0-198 काफी पूर्व से संचालित है तथा वार्ड सिफ्टिंग के क्रम में केन्द्र सं0-199 सृजित किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को नये केन्द्र पर भेजा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही आम सभा में वार्ड सिफ्टिंग के मामले पर विपक्षी सं0-05 द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई तथा एक लम्बी अवधि बीत जाने पर उनके द्वारा आपत्ति दिया गया।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 211/जि0प्रो0 दिनांक 13.02.18 में पारित आदेश को अस्वीकृत करते

हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर को निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से वार्ड सं0-01 केन्द्र सं0-198 पर कार्य लिया जाए। आदेश की प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमौर एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2182 / विधि दि० 26-06-19 /
प्रतिलिपि बाल विकास परि० पदाधिकारी अमौर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/6/19

वरीय उप-समाहर्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णिया

26/6/19